<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील / आरटीआई / 84 / 2022

श्री देव प्रकाश शर्मा, 3–च–10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर, जयपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 15.11.2022</u>**

अपीलार्थी श्री देव प्रकाश शर्मा, 3–च–10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर, जयपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 792 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा लोक सूचना जिला प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर को प्रार्थी को सूचनाये उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सामान्य / अपील / 2022 10696 दिनांक 02.11.22 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सामान्य / अपील / 2022 10696 दिनांक 02.11.22 का अवलोकन किया गया, जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी को पूर्व में सूचना उपलब्ध करादी

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

गई है, सूचना की प्रति सलंग्न कर प्रेषित की गई है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र एवं सूचनायें प्रति सलंग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की निर्णय प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर